

झारखण्ड सरकार  
वित्त विभाग  
संकल्प

2981/A  
01-9-09


विषय : राज्यकर्मियों के लिये संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना।

राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवा शर्त के साथ केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने में वही सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 द्वारा प्रदान की गई है। संकल्प में केन्द्र के अनुरूप संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (Modified Assured Career Progression Scheme) लागू करने का निर्णय संसूचित किया गया है, जिसके लिये विस्तृत निदेश अलग से निर्गत करने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया था।

2. इस बीच भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिये सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए.सी.पी.एस.) की जगह संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किया जा चुका है। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ए.सी.पी.) योजना को अवक्रमित करते हुये संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम.ए.सी.पी.) योजना, जिसमें क्रमशः 10/20/30 वर्षों की लगातार नियमित सेवा के उपरान्त तीन वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा, परिशिष्ट-1 के अनुसार राज्यकर्मियों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

3. एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ स्वीकृति के मामले पर विचार करने के लिये विभागीय/संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी (जो भी स्थिति हो) के स्तर पर स्क्रीनिंग समिति गठित की जायेगी। स्क्रीनिंग समिति की संरचना वही होगी, जो नियमित प्रोन्नति पर विचार करने के लिये संगत भर्ती-प्रोन्नति/सेवा नियमावली में विहित की गई हो। स्क्रीनिंग समिति के सदस्य के रूप में वैसे पदाधिकारी शामिल किये जायेंगे, जिसके द्वारा धारित पद की श्रेणी एम.ए.सी.पी. योजना के तहत समिति में विचार होने वाले ग्रेड से कम से कम एक स्तर ऊपर हो, लेकिन अवर सचिव अथवा समकक्ष से कम श्रेणी का नहीं हो। अध्यक्ष की श्रेणी सदस्य की श्रेणी से कम से कम एक स्तर ऊपर होना आवश्यक है।

4. जिन मामलों में विभागीय प्रोन्नति समिति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित है, एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्क्रीनिंग समिति मुख्य सचिव/सदस्य, राजस्व पर्यटन/विकास आयुक्त/समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग विभिन्न विभागों के वरीय पदधारकों को एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिये स्क्रीनिंग समिति की संरचना के संबंध में स्थायी आदेश निर्गत करेगा।



5. इस योजना को प्रभावकारी ढंग से लागू करने हेतु स्क्रीनिंग समिति समयबद्ध कार्यक्रम तय करेगा। समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी, ताकि वर्ष के उस छमाही के परिपक्व मामलों में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। तदनुसार किसी खास वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही (अप्रैल से सितम्बर) के परिपक्व मामलों में स्क्रीनिंग समिति द्वारा जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में विचार किया जायेगा। इसी प्रकार उस वित्तीय वर्ष के द्वितीय छमाही (अक्टूबर से मार्च) के परिपक्व मामलों में स्क्रीनिंग समिति द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में जुलाई के प्रथम सप्ताह में विचार किया जायेगा। संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये आदेश निर्गत होने के एक माह के भीतर स्क्रीनिंग समिति का गठन करेंगे, ताकि परिपक्व मामले पर तुरन्त निर्णय लिया जा सके।

6. एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर वित्तीय उन्नयन औपबधिक रूप से स्वीकृत करने के लिये प्रशासी विभाग/संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी अधिकृत होंगे। औपबधिक रूप से किये गये वित्तीय उन्नयन की संपुष्टि राज्य स्तरीय कर्मियों की स्थिति में विभागीय सचिव द्वारा स्वयं तथा मुफ़्फ़िसल कार्यालयों के कर्मचारियों की स्थिति में स्वयं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा एक वर्ष के भीतर करा ली जायेगी।

7. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होगा एवं वरीयता से इसका कोई संबंध नहीं होगा। यह कार्यात्मक/नियमित प्रोन्नति के समान नहीं होगा, इसके लिये पद सृजन की आवश्यकता नहीं होगी। संवर्ग में कनिष्ठ कर्मों को एम.ए.सी.पी. योजना के तहत उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मों को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा।

8. प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित आदेश केवल नियमित प्रोन्नति पर ही लागू है। अतः आरक्षण नियम/रोस्टर एम.ए.सी.पी. योजना पर लागू नहीं होगा एवं इसका लाभ सभी योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मियों को भी समान रूप से देय होगा। ऐसी स्थिति में स्क्रीनिंग समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं होगा। लेकिन नियमित/क्रियाशील प्रोन्नति के सभ्य संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आरक्षण नियमों एवं प्रोन्नति की निर्धारित प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. इस योजना के तहत वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप पदधारक के पदनाम, वर्गीकरण एवं स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राजकीय उत्सवों, अलंकरण सगारोहों, उच्चतर पदों पर प्रतिनियोजन आदि कार्यों के लिये वे अपने मौलिक पद/निम्नतर वेतनमान के अनुरूप ही सुविधा प्राप्त करेंगे। लेकिन, उच्चतर वेतनमान (वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) के आधार पर



संबंधित सरकारी सेवक को सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम सहित अन्य अग्रिम का लोभ देय होगा।


10. ए.सी.पी. योजना से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5207/वि० दिनांक 14.08.2002 एवं इस प्रसंग में निर्गत अनुवर्ती आदेशों से आच्छादित/निर्णीत पुराने मामले यथावत रहेंगे, अर्थात् उसका निस्तार पुरानी ए.सी.पी. योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा। इस योजना (एम.ए.सी.पी.) के कार्यान्वयन के फलस्वरूप एक ही संवर्ग के अधीन पुरानी ए.सी.पी. योजना एवं एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतनमान का अंतर विसंगति नहीं मानी जायेगी।

11. एम.ए.सी.पी. योजना दिनांक 01.09.2008 के प्रभाव से लागू होगा। इससे पूर्व अर्थात् दिनांक 31.08.2008 तक वित्तीय उन्नयन ए.सी.पी. योजना के प्रावधानों (वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5207/वि० दिनांक 14.08.2002 एवं अनुवर्ती आदेशों में निहित) के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा।

12. इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के प्रसंग में किसी प्रकार की कठिनाई शंका होने की स्थिति में उसका निर्वचन/स्पष्टीकरण वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा, जो अंतिम होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

  
(राजबाला वर्मा)  
प्रधान सचिव

सँची, दिनांक 01-9-09

2981/4  
ज्ञापक : 6/एस०-०६(प्र०)-०३/२००९


प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
अनुरोध है कि झारखण्ड राजपत्र के उक्त अंक की 1000 प्रतियाँ वित्त विभाग, प्रशाखा-6 को उपलब्ध करायी जाय।

  
(राजबाला वर्मा)  
प्रधान सचिव

सँची, दिनांक 01-9-09

2981/4  
ज्ञापक : 6/एस०-०६(प्र०)-०३/२००९

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(राजबाला वर्मा)  
प्रधान सचिव

29-8-2009

ज्ञापक : 6/एस0-06(प्र0)-03/2009

298/A

राँची, दिनांक 01-9-09

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(राजबाला वर्मा) 29/8/09  
प्रधान सचिव

ज्ञापक : 6/एस0-06(प्र0)-03/2009

298/A

राँची, दिनांक 01-9-09

प्रतिलिपि : सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजबाला वर्मा)  
प्रधान सचिव


29/8/2009

परिशिष्ट - 1

संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम.ए.सी.पी.) योजना

1. राज्यकर्मियों को एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत पूरे सेवा काल में तीन वित्तीय उन्नयन, जो सीधी भर्ती ग्रेड से परिगणित होगा, क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त देय होगा। एक ही ग्रेड वेतन में लगातार 10 वर्षों की सेवा के उपरान्त भी सरकारी सेवक को इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा।
2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन क्रमिक ग्रेड वेतन की सूची में ठीक अगला उच्चतर ग्रेड वेतन, जो वित्त विभाग के संकल्प संख्या 860/वि0 दिनांक 28.02.2009 की अनुसूची I में अनुशसित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन है, के अनुसार देय होगा। अतः कुछ मामलों में जहाँ दो क्रमिक ग्रेडों के बीच नियमित प्रोन्नति नहीं है, वहाँ एम.ए.सी.पी. के तहत वित्तीय उन्नयन के समय ग्रेड वेतन नियमित प्रोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड वेतन से अलग होगा। ऐसे मामलों में संवर्ग के पदसोपान में अगली प्रोन्नति के पद का उच्चतर ग्रेड वेतन नियमित प्रोन्नति के समय ही दिया जायेगा।
3. एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकतम वेतन बैंड IV में रुपये 10,000 ग्रेड वेतन तक अनुमान्य होगा।
4. नियमित प्रोन्नति के समय देय वेतन निर्धारण का लाभ इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय भी दिया जायेगा। फलस्वरूप वित्तीय उन्नयन के समय पूर्व से प्राप्त वेतन (वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन को जोड़ने के पश्चात्) का 3 प्रतिशत (10 के गुणांक में) वेतन निर्धारण का लाभ देय होगा। बाद में यदि उसी ग्रेड वेतन के पद पर नियमित प्रोन्नति होती है, तो वैसी स्थिति में पुनः वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। ऐसे मामले जहाँ एम.ए.सी.पी. योजना के तहत प्रदत्त ग्रेड वेतन से अधिक के ग्रेड वेतन के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है, वहाँ भी वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप ग्रेड वेतन के अंतर की राशि मात्र देय होगी।

दृष्टान्त - यदि कोई सरकारी सेवक PB-I में ग्रेड वेतन रुपये 1900 के पद पर सीधे भर्ती द्वारा योगदान करते हैं एवं 10 वर्ष की सेवा पूरी करने तक कोई प्रोन्नति प्राप्त नहीं करते हैं, तो उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना के तहत ठीक अगला उच्चतर ग्रेड वेतन रूप 2000 में वित्तीय उन्नयन देय होगा एवं उनका वेतन, एक वेतन वृद्धि एवं ग्रेड वेतन व अंतर की राशि (रुपये 100) को जोड़ कर निर्धारित किया जायेगा। एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त यदि वह सरकारी सेवक अप संवर्ग के पदसोपान में नियमित प्रोन्नति प्राप्त करते हैं, जिसका ग्रेड वेतन रुपये 2400



वैसी स्थिति में उन्हें मात्र ग्रेड वेतन रूपये 2000 एवं रूपये 2400 के अंतर की राशि देय होगी, अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जायेगा।

5. नियमित प्रोन्नति/ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन, जो पूर्व में दिया जा चुका है, लेकिन वेतन पुनरीक्षण के पश्चात् ऐसे वेतनमानों का एक ही ग्रेड वेतन में संविलयन किया गया है, एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन देने के प्रयोजन से नजरअंदाज (ignore) कर दिया जायेगा।

दृष्टांत :- अपनुरीक्षित वेतनमान की सूची (आरोही क्रम में) में किसी सेवा/संवर्ग/संगठन में निम्नलिखित वेतनमान उपलब्ध थे :-

रूपये 5000-8000, रूपये 5500-9000 एवं रूपये 6500-10500

- (a) सरकारी सेवक, जो अपनुरीक्षित वेतनमान रूपये 5000-8000 में नियुक्त हुए थे, दिनांक 01.01.2006 के पूर्व 25 वर्षों की सेवा के उपरान्त भी एक भी प्रोन्नति नहीं मिली है, द्वारा 01.01.2006 को ए.सी.पी. योजना के तहत अगले दो वेतनमान अर्थात् अपनुरीक्षित वेतनमान रूपये 5500-9000 एवं रूपये 6500-10500 में दो वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर चुके होंगे।

- (b) दूसरा सरकारी सेवक, जिनकी नियुक्ति रूपये 5000-8000 के अपनुरीक्षित वेतनमान में हुई है, द्वारा दिनांक 01.01.2006 के पूर्व 25 वर्षों की सेवा पूरी की गयी है, लेकिन उन्हें रूपये 5500-9000 एवं रूपये 6500-10500 वेतनमान के उच्चतर पदों पर नियमित प्रोन्नति दी गयी है।

उपर्युक्त (a) एवं (b) के मामलों में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व रूपये 5500-9000 एवं 6500-10500 में दी गयी प्रोन्नति/ए.सी.पी. के तहत दिये गये वित्तीय उन्नयन को रूपये 5000-8000, रूपये 5500-9000 एवं रूपये 6500-10500 में विलय (merger) के कारण नजरअंदाज कर दिया जायेगा। वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उक्त दोनों श्रेणी व सरकारी सेवकों को वेतन बैंड II में ग्रेड वेतन रूपये 4200 स्वीकृत किया गया है। एम.ए.सी.पी. योजना लागू होने के फलस्वरूप दोनों ही मामलों यथा (a) एवं (b) में दो वित्तीय उन्नयन PB-II में अगला उच्चतर ग्रेड वेतन रूपये 4600 एवं रूपये 4800 देय होगा।

5.1 जो सरकारी सेवक अपनुरीक्षित वेतनमान रूपये 5500-9000 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होकर 01.01.2006 के पूर्व प्रथम ए.सी.पी. के रूप में अपनुरीक्षित वेतनमान रूपये 6500-10500 प्राप्त कर रहे थे, उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना लागू होने के फलस्वरूप PB-II में ग्रेड वेतन रूपये 4600 देय होगा।

6. ए.सी.पी. योजना के तहत जिन सरकारी सेवकों को वित्तीय उन्नयन दिनांक 01.01.2006 तक दिया गया है, उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान/नई वेतन संरचना में ए.सी.पी. योजना के तहत प्रदत्त वेतनमान के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

*Dupr*

6.1 दिनांक 01.01.2006 एवं 31.08.2008 के बीच ए.सी.पी. योजना के तहत प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के मामलों में सरकारी सेवक को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण का दो विकल्प दिया गया है। प्रथम यह कि वह दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से दिनांक 01.01.2006 के अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण का लाभ लें। दूसरा विकल्प यह है कि संबंधित सरकारी सेवक ए.सी.पी. योजना के तहत प्रदत्त अपुनरीक्षित वेतनमान में वित्तीय उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प दें। दूसरे विकल्प के चयन की स्थिति में वह विकल्प की तिथि अर्थात् ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की तिथि से बकाये वेतन का हकदार होगा।


6.2 वैसे मामले, जिनमें सरकारी सेवक को ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत संवर्गीय पद सोपान में अगले उच्चतर पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है, लेकिन छठा केन्द्रीय वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप संवर्ग के उच्चतर पद को उच्चतर ग्रेड वेतन देकर उत्क्रमित किया गया है, ऐसे सरकारी सेवकों का वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में पद का उच्चतर ग्रेड वेतन देकर निर्धारित किया जायेगा। परन्तु एम.ए.सी.पी. योजना के लागू होने की तिथि से सभी वित्तीय उन्नयन हर हालत में वेतन बैंडों के क्रमिक ग्रेड वेतन में ही देय होगा।

7. भारत सरकार के मौलिक नियमावली FR 22(1)(a)(1) के अधीन एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत सरकारी सेवक प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उच्चतर पद/ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से दे सकते हैं। ऐसे मामले में वेतन एवं वेतन वृद्धि की तिथि का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

8. संवर्ग नियमावली के अधीन प्रोन्नति के पद सोपान, जिसका ग्रेड वेतन समान हो, में नियमित प्रोन्नति एम.ए.सी.पी. के उद्देश्य से परिगणित होगी।

8.1 छठे केन्द्रीय वेतनमान को लागू करने के पश्चात् ग्रेड वेतन रुपये 5400 दो वेतन बैंडों अर्थात् PB-II एवं PB-III के अंतर्गत हैं। PB-II का ग्रेड वेतन रुपये 5400 एवं PB-III का ग्रेड वेतन रुपये 5400 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन उद्देश्य से अलग-अलग ग्रेड वेतन माना जायेगा।

9. एम.ए.सी.पी. योजना कार्यभारित कर्मचारियों जिनका सेवा शर्त नियमित स्थापना कर्मचारियों के सदृश है, पर भी लागू होगा।



10. एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन यदि सरकारी सेवक की अयोग्यता अथवा विभागीय कार्यवाही के कारण लंबित रखा जाता है तथा 10 वर्षों के बाद स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो इसका परिणामी प्रभाव अनुवर्ती वित्तीय उन्नयन पर पड़ेगा। फलस्वरूप प्रथम वित्तीय उन्नयन में विलम्ब की अवधि तक अनुवर्ती वित्तीय उन्नयन भी विलम्बित होगा। अगर कोई कर्मचारी प्रशिक्षण, बाह्य सेवा शर्त पर प्रतिनियुक्त, अध्ययन अवकाश, अन्य प्रकार की छुट्टी पर रहते हैं, तो जब तक उक्त अवधि के सक्षम पदाधिकारी द्वारा विधिवत विनियमित नहीं किया जाता है, तब तक उक्त अवधि की गणना एम.ए.सी.पी. के लिये निमित्त नहीं की जायेगी।
11. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत "नियमित सेवा" की गणना सीधी भर्ती कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित नियुक्ति के आधार पर योगदान की तिथि से की जायेगी। नियमित नियुक्ति के पूर्व तदर्थ/सविदा के आधार पर की गई सेवा की गणना एम.ए.सी.पी. के लिये नहीं की जायेगी।
12. राज्य सरकार के किसी विभाग में सेवारत सरकारी सेवक यदि समान ग्रेड वेतन के पद पर दूसरे विभाग में नियमित रूप से नियुक्त होते हैं तथा दोनों विभागों की सेवा के बीच कोई टूट नहीं रहता है, तो पूर्ववर्ती विभाग में की गई सेवा की अवधि एम.ए.सी.पी. के निमित्त (नियमित प्रोन्नति के लिये नहीं) नियमित सेवा के रूप परिगणित की जायेगी, किन्तु एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत देय लाभ पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा, जब तक की नये पद की परीवीक्षा (Probation) अवधि संतोषप्रद रूप से पूरी नहीं की जाती है।
13. स्थानीय निकाय/बोर्ड/निगम/लोक उपक्रम में की गई पूर्व सेवा की गणना बाद में राज्य सरकार में नियुक्त होने पर एम.ए.सी.पी. के लिये नियमित सेवा के रूप में नहीं की जायेगी।
14. एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन हेतु सामान्य प्रोन्नति मानकों यथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, उच्चतर योग्यता की प्राप्ति आदि, जो भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली में निहित है, को प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई के मामले में इस योजना के अन्तर्गत लाभों की स्वीकृति सामान्य प्रोन्नति के नियमों के अधीन प्रदान की जायेगी।
15. यदि किसी सरकारी सेवक को वित्तीय उन्नयन के पूर्व नियमित प्रोन्नति देय होती है, लेकिन नियमित प्रोन्नति को वह स्वीकार नहीं करता है, वैसी स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक को वित्तीय उन्नयन देय नहीं होगा तथा यह माना जायेगा कि प्रोन्नति के अवसर के अभाव में उनका गत्यावरोध नहीं हुआ है। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के उपरान्त संबंधित सरकारी सेवक देय नियमित प्रोन्नति को स्वीकार नहीं करते हैं, तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का आधार नहीं होगा। परन्तु अगले वित्तीय उत्क्रमण पर

तभी विचार किया जायेगा, जब संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रोन्नति के लिये सहमति दी जायेगी। जितनी अवधि के लिये संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रोन्नति स्वीकार नहीं की गयी है, उतनी अवधि के लिये अगले वित्तीय उत्क्रमण की तिथि बढ़ा दी जायेगी।

- 15.1 सरकारी सेवक, जो प्रतिनियुक्ति पर है, के लिये एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के लिये पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित होने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प के आधार पर सरकारी सेवक, धारित पद के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन का योग) तथा एम.ए.सी.पी. योजना के अधीन अनुमान्य मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन का योग) में से जो भी लाभकारी हो, का चयन कर सकते हैं।
16. इस योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों/यूजी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.ई.आर.टी.0 आदि वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षकों/पदाधिकारियों को देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मियों जिनके लिये अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना का प्रावधान पूर्व से किया गया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।
17. राज्य सरकार से सहायता प्राप्त सभी स्वायत्तशासी संस्था (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सहित)/राज्य सरकार द्वारा सृजित/अधिग्रहित भारतीय कम्पनी अधिनियम अथवा अन्य अधिनियम के तहत गठित निगम/निकाय/पर्षद या सदृश संस्थानों में कार्यरत कर्मियों इस योजना की परिधि में नहीं आयेंगे। ऐसे संस्थानों के द्वारा नियुक्त कर्मियों का वेतन भत्ता, सुविधायें संबंधित संस्था के द्वारा उनके आय-व्ययक (बजट) के तहत उपलब्ध कराया जाता है, सरकार इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, किन्तु ऐसी सुविधाओं की भरपाई के लिये सरकार द्वारा कोई विशेष सहायता/अनुदान नहीं दिया जायेगा और न सरकार किसी रूप में इसके लिये उत्तरदायी होगी। सरकार ऐसी संस्था को ऋण/अनुदान निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिये निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार देती है। सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले बोर्ड/निगम/निकाय आदि अपने कर्मियों को सुविधा देते समय इस बात का पूर्णरूपेण ध्यान रखेंगे कि दी जानेवाली सुविधा/वेतन किसी भी स्थिति में समान अवस्था वाले राज्यकर्मियों से अधिक नहीं हो, अन्यथा सहायता की राशि में कटौती कर दी जायेगी।
18. एम.ए.सी.पी. योजना लागू किये जाने के पश्चात् सम्बन्धीय रिक्त पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया कुप्रभावित नहीं होगी। संगत नियम/निदेश के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से संवर्ग में रिक्त नियमित पदों पर प्रोन्नति देने की कार्रवाई आवश्यक छान-बीन के बाद ही पूरी की जाएगी।

*Dup*

19. एम.ए.सी.पी. योजना केन्द्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है, अतः इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत स्पष्टीकरण मुटाटिस-मुटेंडिस (Mutatis-Mutandis) राज्यकर्मियों के मामले में भी लागू होंगे।

20. एम.ए.सी.पी. योजना के तहत देय वित्तीय उन्नयन का कतिपय दृष्टांत निम्न प्रकार है

(क) (i) यदि PB-I ग्रेड वेतन रूपये 1900 का कोई सरकारी सेवक (LDC) 08 व सेवा पूरी करने के उपरान्त PB-I ग्रेड वेतन रूपये 2400 (UDC) में प्रोन्नति करते हैं तथा उस ग्रेड वेतन में अगले 10 वर्षों तक बिना प्रोन्नति के उस वेतन में बने रहते हैं, तो एम.ए.सी.पी. योजना के तहत 18 वर्ष (8+10) पूरा के उपरान्त PB-I ग्रेड वेतन रूपये 2800 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन के पात्र


(ii) यदि इसके बाद उन्हें कोई प्रोन्नति नहीं मिलती है, तो अगले 10 वर्ष की अर्थात् (8+10+10) 28 वर्ष पूरी करने के उपरान्त उन्हें PB-II ग्रेड वेतन 4200 में तीसरा वित्तीय उन्नयन देय होगा।

(iii) यदि उक्त सरकारी सेवक अगले 05 वर्षों की सेवा अवधि 23 वर्ष (8+10+5) उपरान्त PB-II ग्रेड वेतन रूपये 4200 में द्वितीय प्रोन्नति प्राप्त करते हैं, 7 वर्षों की सेवा के उपरान्त अर्थात् द्वितीय वित्तीय उन्नयन से 10 वर्षों के बाद II ग्रेड वेतन रूपये 4600 में तीसरा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करेंगे।

इन मामलों में संबंधित सरकारी सेवक का कुल वेतन (वेतन बैंड में वे ग्रेड वेतन) वित्तीय उन्नयन के पूर्व 03 प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा। आगे उसी वेतन अथवा उच्चतर ग्रेड वेतन में नियमित प्रोन्नति होने पर पुनः वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। मात्र ग्रेड वेतन के अंतर की राशि प्रोन्नति के अनुमान्य होगी।

(ख) यदि PB-I ग्रेड वेतन रूपये 1900 में किसी सरकारी सेवक (LDC) को एम.ए.सी.पी. योजना के अधीन 10 वर्षों की सेवा के उपरान्त प्रथम वित्तीय उन्नयन ग्रेड वेतन रूपये 2000 में स्वीकृत किया जाता है तथा 05 वर्षों के बाद वह नियमित प्रोन्नति (UDC) PB-I ग्रेड वेतन रूपये 2400 में प्राप्त करते हैं, तो स्थिति में एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत उन्हें 20 वर्षों की सेवा के उप द्वितीय वित्तीय उन्नयन PB-I ग्रेड वेतन रूपये 2800 में स्वीकृत किया जाय 30 वर्षों की सेवा के उपरान्त वे तीसरा वित्तीय उन्नयन PB-II ग्रेड वेतन 4200 में प्राप्त करेंगे। अगले 10 वर्षों के पूर्व वे प्रोन्नति नहीं मिलेंगे।

(ग) यदि किसी सरकारी सेवक को दो प्रोन्नतियाँ प्राप्त हो गयी हैं अथवा पुरानी ए.सी. पी. योजना के तहत 24 वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात् दूसरा वित्तीय उन्नयन प्राप्त हो चुका हो, तो एम.ए.सी.पी. योजना के तहत 30 वर्षों की सेवा के उपरान्त उन्हें तीसरा वित्तीय उन्नयन देय होगा, बशर्ते कि उन्हें सम्बन्धीय पदसोपान में तीसरी प्रोन्नति नहीं मिली हो।

  
(राजबाला वर्मा)  
प्रधान सचिव

29.8.2009